

राजस्थान सरकार
सामान्य प्रशासन (ग्रुप-2) विभाग

क्रमांक :-प. 2(3)साप्र/2/2025-04141

जयपुर, दिनांक : 05.06.2025

—: आदेश :-

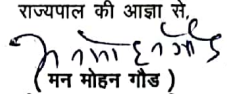
निम्नांकित अधिकारियों/कर्मचारियों को उनकी द्वितीय श्रेणी की ऑनलाईन वरीयतानुसार उनके नाम के सम्मुख अंकित राजकीय आवास उनके निवास हेतु नियमानुसार किराये पर राजकीय आवास आवंटन नियम, 1958 के प्रावधानानुसार निम्नानुसार शर्तों के आधार पर एतद्वारा आवण्टित किया जाता है:-

क्र.सं.	वरियता क्रमांक	आवंटी नाम एवं पदनाम	सेवानिवृत्ति	आवंटित राजकीय आवास
1.	433	Ms. Babli (Executive Engineer, PHED)	31-Dec-2054	II-24 Gandhi Nagar
2.	434	Mr. Sarita Kumari(Deputy Conservator Of Forest, Forest)	31-Jan-2047	II-50 Gandhi Nagar
3.	435	Mr. Manoj Kumar Garwa(Additional Director, Home)	30-Sep-2040	II-38 Gandhi Nagar
4.	436	Mr. SHRI RAM BIJARNIYA(Manager Finance, FCSCA)	30-Jun-2049	M-6 Gandhi Nagar
5.	438	Mrs NANDITA RATHORE(Joint Registrar, Co-op.)	31-Jul-2042	N-14 Gandhi Nagar
6.	440	Mr. Dileep Lamba(Executive Engineer, UDH)	30-Jun-2053	N-18 Gandhi Nagar
7.	441	Dr. NIDHI PATEL(Awaiting Posting Order, DOP)*	31-Jan-2044	205 Model Town
8.	442	Mr. CHANDRA SHEKHAR(Additional Director, SJED)	31-Mar-2032	N-24 Gandhi Nagar
9.	443	Mr. SOONDA RAM MEENA(Additional Director, SJED)	30-Apr-2030	104 Model Town

शर्त :-

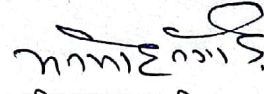
- आवास का कब्जा आवंटन/रिक्त की तिथि से 8 दिवस में लिया जायेगा। इस अवधि में कब्जा न लेने पर आवंटन आदेश स्वतः निरस्त समझा जावेगा।
- उक्त आवास का किराया राजस्थान सिविल सेवा निवास स्थान के किराये का अवधारण और वसूली नियम, 1958 के अन्तर्गत राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जारी आदेशों के अनुसार वसूल होगा।
- सेवानिवृत्ति पश्चात आवास रिक्त करना होगा।
- जयपुर से बाहर स्थानान्तरण हो जाने पर इस विभाग को सूचित करना होगा तथा कार्यमुक्त होने की तिथि से एक माह पश्चात आवास रिक्त करना होगा।
- स्वयं तथा पत्नी/बच्चों के नाम से पदस्थापन स्थान पर निजी आवास बन जाने /क्रय करने की स्थिति में इस विभाग को सूचित करना होगा।
- सम्बन्धित विभागाध्यक्ष/आहरण वितरण अधिकारी-चूँकि उक्त अधिकारियों/कर्मचारियों को राजकीय आवास का आवंटन किया जा चुका है। अतः राजकीय आवास आवंटन नियम, 1958 के नियम 11(III)ए के अनुसरण में आदेश प्रसारित होने के आवास रिक्त की तिथि से 8 दिवस में अथवा आवंटन स्वीकार करने के असफल रहने की तारीख से 6 माह की कालावधि तक अगले आवंटन तक के लिए पात्र नहीं रहेगा। 6 माह की समाप्ति पश्चात उसे प्रतीक्षा सूची में अपनी मूल स्थिति में पुनः लाया जा सकेगा। उसका मकान किराया भत्ता यदि उस क्षेत्र में अनुज्ञेय हो तो रोक दिया जायेगा।
- आवंटी को आवंटित राजकीय आवास का कब्जा देने से पूर्व संबंधित अधिशाषी अभियन्ता को यह घोषणा करनी होगी:-
 - आवेदन प्रस्तुत करने के पश्चात आवंटित राजकीय आवास के कब्जा लेने तक की अवधि में आवंटी निरन्तर जयपुर में ही पदस्थापित रहे है।

2. आवेदन प्रस्तुत करने की तिथि से आवंटित राजकीय आवास के कब्जा लेने तक की अवधि में आवंटि के द्वारा स्वयं/पति/पत्नि व उन पर आश्रित किसी अन्य सदस्य के नाम से जयपुर में कोई निजी आवास निर्मित/क्रय नहीं किया है।
8. उपरोक्त के अतिरिक्त राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जारी अन्य शर्तें भी मान्य होगी।
9. क्रम संख्या 7 एवं 9 के आवंटि से कॉमन सुविधा शुल्क के पेटे राशि रुपये 300/- (अबारे तीन सौ रुपये मात्र) सीधे इनके वेतन से काटे जाकर राजकोष में जमा कराने होंगे।

राज्यपाल की आज्ञा से,

(मन मोहन गौड)
वरिष्ठ उप शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. जिला कलक्टर, जयपुर।
2. प्रधान मुख्य वन संरक्षक, अरण्य भवन, जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि आपके विभाग से संबंधित आवंटिगण के वेतन से नियमानुसार राजकीय आवास किराया कटौती सुनिश्चित करावे।
3. शासन सचिव एवं आयुक्त, सूचना, प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग, जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि आपके विभाग से संबंधित आवंटिगण के वेतन से नियमानुसार राजकीय आवास किराया कटौती सुनिश्चित करावे।
4. संयुक्त शासन सचिव कार्मिक (क-1) विभाग जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि आपके विभाग से संबंधित आवंटिगण के वेतन से नियमानुसार राजकीय आवास किराया कटौती सुनिश्चित करावे।
5. संयुक्त शासन सचिव, वित्त (राजस्व) विभाग को प्रेषित कर लेख है कि आपके विभाग से संबंधित आवंटिगण के वेतन से नियमानुसार राजकीय आवास किराया कटौती सुनिश्चित करावे।
6. पंजीयक, सहायक विभाग, जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि आपके विभाग से संबंधित आवंटिगण के वेतन से नियमानुसार राजकीय आवास किराया कटौती सुनिश्चित करावे।
7. मुख्य अभियन्ता, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि आपके विभाग से संबंधित आवंटिगण के वेतन से नियमानुसार राजकीय आवास किराया कटौती सुनिश्चित करावे।
8. निदेशक, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि आपके विभाग से संबंधित आवंटिगण के वेतन से नियमानुसार राजकीय आवास किराया कटौती सुनिश्चित करावे।
9. संयुक्त शासन सचिव, नगरीय विकास एवं आवासन विभाग, जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि आपके विभाग से संबंधित आवंटिगण के वेतन से नियमानुसार राजकीय आवास किराया कटौती सुनिश्चित करावे।
10. वित्तीय सलाहकार, कार्मिक (ग) विभाग शासन सचिवालय, जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि आपके विभाग से संबंधित आवंटिगण के वेतन से नियमानुसार राजकीय आवास किराया कटौती सुनिश्चित करावे।
11. निदेशक, सम्पदा विभाग, मिनी सचिवालय, जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि आवंटिगण के कब्जा लेने की तिथि से किराया वसूली कर राजकोष में जमा कराने को सुनिश्चित करावे।
12. कोषाधिकारी, कोष कार्यालय, शासन सचिवालय/जयपुर शहर, जयपुर।
13. प्रोग्रामर, सामान्य प्रशासन विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर- कृपया उक्त आदेश को सामान्य प्रशासन विभाग की वेब साईट पर अपडेट करने का श्रम करावे।
14. सहायक शासन सचिव, सामान्य प्रशासन (ग्रुप-5) विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
15. अधिशाषी अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग, नगर खण्ड-तृतीय (मुख्यालय) जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि इस आवण्टन पत्र के पीछे दिये गये प्रपत्र की आवश्यक पूर्ति करने के पश्चात् ही आवण्टन की कार्यवाही सुनिश्चित करावे।
16. अधिशाषी अभियन्ता, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, गांधीनगर जयपुर।
17. अधिशाषी अभियन्ता, जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, रामबाग सर्किल, जयपुर।
18. सहायक अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग चौकी, गाँधीनगर, जयपुर-कृपया उक्त आदेश को कार्यालय ब्लेकबोर्ड पर चस्पा करावे साथ ही आवंटि के द्वारा कब्जा लेने/रिक्त दिनांक की सूचना निदेशक सम्पदा विभाग, मिनी सचिवालय जयपुर को भी भिजवाये।
19. संबंधित अधिकारी को प्रेषित कर लेख है कि कब्जा लेने से पूर्व इस आवण्टन पत्र के पीछे दिये गये प्रपत्र की अपने स्तर पर आवश्यक पूर्ति कर अधिशाषी अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग, नगर खण्ड-तृतीय (मुख्यालय) जयपुर को सम्मिलवाने के पश्चात् ही कब्जा प्राप्त करेंगे एवं आवंटित आवास यदि कोई हो तो निर्धारित अवधि में रिक्त करना भी सुनिश्चित करेंगे।
20. निजी सचिव, शासन सचिव, साप्रवि।
21. रक्षित पत्रावली।


वरिष्ठ उप शासन सचिव